(घ) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संस्था को देश में अपना कार्यालय खोलने देने की अनुमति दिये जाने के क्या कारण थे और इस संस्था को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की गई ; और

(ङ) क्या भारत के प्रतिनिधि द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को रुग्ण एकक का निजीकरण करने का कोई आश्वासन दिया गया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां। नवम्बर, 1991 से नई दिल्ली में एक निवासी प्रतिनिधि कार्यालय ने काम करना शुरु कर दिया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बंगला देश और इंडोनेशिया में अपने कार्यालय खोले हैं। निवासी प्रतिनिधि कार्यालय कोष समर्थित कार्यक्रमों के किसी संबंध के बिना स्थापित किए जाते हैं। इंडोनेशिया का इस समय कोष के साथ कोई कार्यक्रम नहीं है। कार्यालय खोलने का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और भारत सरकार के बीच आपसी समझ में वृद्धि और सुधार करना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कर्मचारियों को वही सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो नई दिल्ली में तैनात विश्व बैंक के स्टाफ को दी जाती है।

(ङ) जी, हां।

मुम्बई सीमाशुल्क गृह में अनियमितताएं

1795. **श्री अनन्त राम जयस्वाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुम्बई सीमाशुल्क गृह के वर्ष 1990-91 के आंतरिक और केन्द्रीय लेखा परीक्षण में वहां की जा रही गड़बड़ियों और अनियमितताओं के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी की गई है ;

(ख) यदि हां, तो की गई गड़बड़ियों और अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है, और क्या यह भी पाया गया है कि उक्त सीमाशुल्क गृह के अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट/सूचनाएं देकर सीमाशुल्क बोर्ड को गुमराह किया था ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच करने तथा राजकोष को हुई हानि का पता लगाने का विचार किया है ;

(घ) क्या मुम्बई सीमाशुल्क गृह के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या इसमें अंतर्ग्रस्त राशि को वसूल करने के लिए भी कोई कार्यवाही की गई है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा सीमाशुल्क गृह, मुम्बई का मार्च, 1991 में किए गये निरीक्षण की रिपोर्ट में कतिपय प्रतिकूल टिप्पणियां की गई हैं। बताई गई अनियमितताएं, सीमाशुल्क गृह द्वारा लेखा परीक्षा आपत्तियों के विचाराधीन आंकड़ों के बारे में सूचित करने की पद्धति से संबंधित है।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और एक विवरण सभा पटल पर यथा-समय रख दिया जाएगा।

मै०जे० केतय सिंथेटिक्स की ओर बकाया ऋण की वसूली

1796. **श्री अनन्त राम जायस्वाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अक्तूबर 1991 की स्थिति के अनुसार मै० जे० के० सिंथेटिक्स कानपुर उत्तर प्रदेश पर किन-किन बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं का अलग-अलग कितना-कितना ऋण बकाया है;

(ख) क्या जे० के० सिंथेटिक्स, कानपुर को ऋण देने वाले सेंट्रल बैंक आफ इंडिया सहित अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने उपर्युक्त ऋण की वसूली के लिए कडा रूख अपनाया है; यदि हां, तो कब और किन परिस्थितियों में एह एसा सब अपनाना पड़ा;

(ग) क्या सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने भारतीय स्टेट बैंक को भी इस संबंध में कोई पत्र लिखा था; यदि हां तो क्या सरकार उस पत्र को सभा पटल पर रखेगी; और

(घ) क्या की गई कार्यवाही और इस प्रकार अपनाये गये कडे रूख के परिणामस्वरूप मै० जे० के० सिंथेटिक्स से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के उक्त ऋण की वसूली करने में कोई प्रगति हुई है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) निम्नांकित वित्तीय संस्थाओं और बैंकों ने मैसर्स जे० के० सिंथेक्टिस कानपुर को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है :–

वित्तीय संस्थाओं के नाम

1. भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम।
2. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम।
3. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक।
4. भारतीय औद्योगिक पुनर्निमाण बैंक।
5. भारतीय यूनिट ट्रस्ट।
6. भारतीय जीवन बीमा निगम
7. आवास विकास तथा वित्त निगम।
8. राजस्थान निवेश तथा औद्योगिक निगम।
9. पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम।

बैंकों के नाम

1. भारतीय स्टेट बैंक।
2. सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया।
3. स्टेट बैंक आफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर।
4. पंजाब नेशनल बैंक।
5. बैंक आफ़ राजस्थान।
6. इलाहाबाद बैंक।
7. बैंक आफ बड़ौदा।
8. अमेरिकन एक्सप्रैस।
9. बैंक आफ टोकियो।
10. हांगकांग तथा शंघाई बैंकिंग निगम।
11. ग्रिंडलेज बैंक।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले कानूनों के उपबन्धों तथा लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम 1983 के अनुसरण में और बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं और रीति रिवाजों के अनुसार बैंक और वित्तीय संस्थाए अपने अलग-अलग घटकों से सम्बन्धित सूचनाओं को प्रकट नहीं करते।

Delay in Passing SEBI Bill

1797. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item captioned "SEBI Bill not likely even in Parliament's Winter Session" published in the 'Financial Express' of 4th November, 1991;

(b) if so, what are the details thereof and reasons for not passing of the Securities and Exchange Board of India Bill which is hanging fire for over two years now; and

(c) by when Government propose to enact legislature?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a)